बंद रहे बानमोर के बाजार, हाईवे पर किया चक्काजाम

लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति को भांपकर पहुंचे एएसपी

नवभारत न्यूज
मुरैना,09सितम्बर। बानमोर के मंदिर परिसर में बछड़े का शव मिलने की घटना के बाद उपजे आक्रोश ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया। हिंदू संगठनों द्वारा बाजार बंद कर हाईवे पर चक्काजाम कर दिया गया था। जिससे कस्बे में लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ने के हालात पैदा होते जा रहे थे। स्थिति को भांपकर मुरैना से एडीशनल एसपी सुरेन्द्रपाल डाबर तत्काल बानमोर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस टीम को तत्काल आरोपियों को दबोचने के निर्देश देकर हालात पर काबू पाया।

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा, नाबालिग ने फेंका था बोरा

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बानमोर टीआई अमित भदौरिया ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इनसे मिले फुटेज के आधार पर पुलिस ने गंगाराम का पुरा निवासी एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि उसके घर में पालतू बछड़े की मंगलवार की सुबह मौत हो गई थी। पिता ने बछड़े के शव को बोरा में भरकर फेंकने के लिए कहा था, नाबालिग स्कूटी से शव को फेंकने के लिए निकला था, इसी दौरान उसके द्वारा गलती से बछड़े के शव के बोरा को मंदिर परिसर में फेंक दिया गया।

इनका कहना है...
मंदिर परिसर में बछड़े का शव फेंके जाने की घटना को लेकर अज्ञात के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले का महज 2 घंटे में खुलासा कर एक अपचारी बालक को पकड़ा गया है।
सुरेन्द्रपाल डाबर
एडीशनल एसपी, मुरैना

डॉ . विनायक अध्यक्ष व सचिन अभाविप के नगर मंत्री बने

विद्यार्थी परिषद की मुरैना नगर इकाई की कार्यकारिणी घोषित

नवभारत न्यूज
मुरैना, 9 सितंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुरैना नगर इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा मंगलवार को कर दी गई। घोषित कार्यकारिणी में डॉ. विनायक सिंह तोमर को नगर अध्यक्ष एवं सचिन शर्मा को नगर मंत्री नियुक्त किया गया है।

नव निर्वाचित नगर अध्यक्ष एवं मंत्री ने परिषद के मूल मंत्र ज्ञान, शील और एकता को आत्मसात करते हुए छात्र हित एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। कार्यकारिणी की घोषणा के अवसर पर विभाग प्रचारक धनराज ने पंच परिवर्तन विषय पर विचार साझा किए। शिवराज शर्मा ने संगठन की भूमिका एवं कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभाविप विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो हमेशा छात्र हित में कार्य करता है, साथ ही युवाओं में समाज हित और राष्ट्र हित की बात भी करता है। इस अवसर पर रुस्तम लोधी, शिवकुमार शर्मा, सत्यादित्य तोमर, राकेश त्यागी, आशीष नगाइच उपस्थित थे।

17 तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो 18 को जौरा बंद : मिश्र

फायरिंग, दहशतगर्दी की घटनाओं के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 9 सितंबर। कस्बा जौरा में 24 अगस्त को सरिया व्यवसाई पर हुए हमले और फायरिंग सहित अन्य घटनाओं से आम नागरिकों सहित व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। घटना को 20 दिन बीतने के बाद भी पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी तो दूर पहचान तक नहीं कर पाई है। अगर 17 सितंबर तक पुलिस ने बदमाशों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी नहीं की तो 18 सितंबर को इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण जौरा बंद रखा जाएगा।

यह चेतावनी पूर्व विधायक महेशदत्त मिश्र के नेतृत्व में 9 सितंबर को एसडीएम जौरा शुभम शर्मा को दिए गए ज्ञापन में दी गई है। इससे पहले लगातार तीसरे दिन व्यापारियों ने सांकेतिक विरोध के रूप में 4 घंटे तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। जिसके बाद पीड़ित सरिया व्यवसाई सहित अन्य व्यापारी पूर्व विधायक श्री मिश्र के नेतृत्व में एसडीएम दफ्तर पहुंचें। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि बदमाशों की गिरफ्तारी न होने से व्यापारियों में आक्रोश और असुरक्षा की भावना पनप रही है। ज्ञापन में 17 सितंबर तक बदमाशों की गिरफ्तारी न होने पर 18 सितंबर को संपूर्ण जौरा बंद किए जाने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में आदित्य जैन, सुनील मंगल, रामप्रकाश शर्मा, नरेन्द्र कुमार, भरोषीलाल, मयंक जैन, बनवारीलाल, दिनेश कुमार, रीतेश कुमार, गिर्राज, जगदीश, नवीन, अभिषेक आदि शामिल थे।

दिव्यांग छात्रों का चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर आयोजित

जनपद शिक्षा केन्द्र जौरा में हुआ आयोजन

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 9 सितंबर। जनपद शिक्षा केन्द्र जौरा में दिव्यांग छात्रों के चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन सोमवार को हुआ। इस शिविर में शासकीय शालाओं में अध्ययनरत दो सैकड़ा से अधिक दिव्यांग छात्र-छात्राओं को एलिमको टीम जबलपुर के चिकित्सकों द्वारा सहायक उपकरण हेतु चिन्हित किया गया। जिला चिकित्सालय मुरैना से आए हुए विभिन्न चिकित्सकों द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए एवं कुछ दिव्यांग छात्रों की जांच परीक्षण हेतु ग्वालियर के लिए चिन्हित किया गया। एलिमको टीम जबलपुर द्वारा 51 दिव्यांगों को उपकरण हेतु चिन्हित किया गया है। इस शिविर का आयोजन बीआरसी राजीव सिंह जादौन के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर प्रमोद शर्मा, प्रदीप शर्मा, बीएसी, अनुज तिवारी, देवेंद्र डंडोतिया, जन शिक्षा केंद्रों से आए जन शिक्षक, संस्थाओं के प्रधानाध्यापक दिव्यांग बालकों के साथ आए पालक, बीआरसी कार्यालय का स्टाफ , पुरुषोत्तम सोनी और राहुल शर्मा आदि उपस्थित थे।

जनसुनवाई : जिपं सीईओ ने 122 आवेदकों की सुनी समस्याएं

मुरैना, 9 सितंबर। मंगलवार को 122 आवेदन प्राप्त हुए। उन आवेदनों को संबंधित विभागों को निराकरण हेतु भेजा गया। जनसुनवाई कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव द्वारा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत, एसडीएम मुरैना बीएस कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर प्रतिज्ञा शर्मा सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

चिकित्सकीय शिविर आज

मुरैना। जनपद शिक्षा केंद्र कैलारस में 10 सितंबर को सुबह 10 बजे एक दिवसीय दिव्यांग बच्चों का चिकित्सकीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रवेशित बच्चों का डॉक्टरों की टीम द्वारा चिकित्सकीय मूल्यांकन किया जाएगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाएगा। शिविर में 40 प्रतिशत या इससे अधिक नि:शक्तता वाले बच्चों को एल्मिको संस्था द्वारा उपकरण प्रदान करने के लिए परीक्षण किया जाएगा।

अमानक बीज मिलने पर 4 फर्मों से भंडारण-परिवहन पर प्रतिबंध

नवभारत न्यूज
मुरैना, 9 सितंबर। बीज गुणवत्ता नियंत्रण 1983 के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर अंकित अस्थाना ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिये थे कि जिले में अमानक बीज का विक्रय न हो। जिले के विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर चैकिंग अभियान चलाये और सेम्पल भी भेजें। सेम्पल अमानक पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाये। निर्देशों के तहत बीज अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि अनंत सड़ैया ने समस्त विकासखण्डों के अंतर्गत सैम्पल लेने के लिए टीमें गठित की गई। टीमों के द्वारा सेम्पल की कार्यवाही की गई। जिसमें 04 दुकानों के प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान बीज अमानक पाये गये। जिनमें मैसर्स नागाजी खाद भंडार भिण्ड रोड, पोरसा, मैसर्स शिव बीज भंडार अम्बाह रोड पोरसा, मैसर्स श्रीराम बीज भंडार कैलारस और मैसर्स सागर बीज भंडार कैलारस के लॉट का जिले में क्रय, विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर तत्काल प्रतिबंध कर दिया है।

प्रधानाध्यापक को निलंबित कर पोरसा किया अटैच

नवभारत न्यूज
अंबाह,09सितम्बर। शासन ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती को मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा ही एक मामला शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिन्ना का पुरा है। जहां पर पूनम शर्मा ने अतिथि शिक्षक के रूप में 2024-25 सत्र में कार्य किया। शासन के नियमानुसार पूनम के द्वारा सत्र 2025-26 में शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिन्ना का पुरा में ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज दी गई थी। पूनम जब अपनी अतिथि शिक्षक की फाइल जमा करने विद्यालय गई तो शाला प्रभारी रीता शर्मा के द्वारा उसकी फाइल लेने से इंकार कर दिया गया। साथ ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी अप्रूवल नहीं की। उक्त मामले में अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के निर्देश पर शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड अम्बाह द्वारा जाँच की गई। जिसके जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदन किया गया था कि रीता शर्मा, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शा.प्रा.वि.झिन्ना का पुरा द्वारा पूर्व पैनल को रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक रखे जाने के निर्देश न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 का पालन न करते हुये पूनम शर्मा अतिथि शिक्षक को उपस्थित न करने का नियमानुसार कोई साक्ष्य अपने कारण बताओ सूचना पत्र में संलग्न नहीं किया गया एवं शासन के नियमानुसार अतिथि शिक्षक को उपस्थित करने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होने से रीता शर्मा द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया गया। न्यायालय के आदेश का पालन न किये जाने एव बीईओ अम्बाह द्वारा दोषी ठहराये जाने से रीता शर्मा प्रा.शि (प्रभारी प्रधानध्यापक) शा.प्रा.वि. झिन्ना का पुरा विकासखण्ड अम्बाह को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में रीता शर्मा का मुख्यालय कार्यालय शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड पोरसा रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

नेशनल लोक अदालत 13 को, व्यापक प्रचार के लिए रथ रवाना

अशोकनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशों के अनुसार की गई है। यह साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत है, जिसका उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सद्भाव और मेल-मिलाप को बढ़ावा देना है। इस लोक अदालत में केसों का निपटारा होने से समय, पैसा और मेहनत की बचत होती है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है और कोई हारता नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोक अदालत में केस खत्म होने पर न्याय शुल्क भी वापस मिल जाता है और इसका फैसला अंतिम होता है, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।

भगवान शांतिनाथ के जयकारों से गूंजा क्षेत्र, महामस्तकाभिषेक संपन्न

सिहौनियाजी में हुआ भव्य महोत्सव का आयोजन

नवभारत न्यूज
मुरैना/अंबाह, 9 सितंबर। जैन समाज के आस्था व श्रद्धा के केंद्र शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र सिहोनियांजी में मंगलवार को वार्षिक मेला महोत्सव एवं भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक धार्मिक उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। आयोजन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और पूरा क्षेत्र जय जिनेन्द्र के उद्घोषों से गूंज उठा। आयोजन में स्थानीय के साथ देशभर के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।

प्रात: 7 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भक्तों ने नित्याभिषेक, शांतिधारा और पूजन कर पुण्य अर्जित किया। सुबह 10 बजे से प्रतिष्ठाचार्य पं. राजेन्द्र जैन शास्त्री और पं. संजय शास्त्री के निर्देशन में शांतिनाथ महामण्डल विधान सम्पन्न हुआ। विधान के दौरान देशभर से आए विद्वानों ने धर्मसभा को संबोधित किया। प्रवचनों में क्षमा, अहिंसा, करुणा और भाईचारे के महत्व पर विशेष बल दिया गया। शाम 4 बजे वह क्षण आया जिसका सभी श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ की विशाल प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हुआ। जल से भगवान का अभिषेक किया गया। कलशों से जब जलधारा प्रवाहित हुई और साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा शांति धारा का सामूहिक उच्चारण किया तो पूरा जनसमुदाय एक स्वर में भगवान शांतिनाथ की जय के नारे लगाने लगा। आयोजन में जैन स्वर संगम सौरभ एंड पार्टी मुरैना द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों और भजनों ने वातावरण को और अधिक जीवंत बना दिया।

समाज की सहभागिता और क्षेत्र कमेटी का रहा योगदान

आयोजन को सफल बनाने में अतिशय क्षेत्र कमेटी सिहोनियांजी और पूरी कार्यकारिणी का विशेष योगदान रहा। संरक्षक आशीष जैन सोनू संरक्षक, परम संरक्षक जिनेश जैन, रविन्द्र जैन, नीलेश जैन, विवेक जैन, रवि जैन सहित समस्त पदाधिकारियों ने पूरे मनोयोग से सेवाएं दीं।

अंचल ही नहीं देशभर से पहुंचें श्रद्धालु

आयोजन में शामिल होने दिल्ली, अजमेर, इटावा, भिंड, मुरैना, डबरा, घाटीगांव, गोरमी सहित देश के अनेकों स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिहौनियाजी पहुंचें थे।

विश्व फिजियोथैरेपी-डे पर 165 ने लिया स्वास्थ्य लाभ

मुरैना, 9 सितंबर। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय मुरैना में सोमवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉ. गजेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी से संबंधित परेशानियां नसों-मांसपेशियों से संबंधित दर्द ऑपरेशन के बाद जोड़ों का जाम होना, बच्चों में जन्मजात विकलांगता, साइटिका, सर्वाइकल, गठिया एवं जोड़ों का जाम होना शामिल है। उनका निराकरण व्यायाम और मशीनों के माध्यम से किया जाता है। फिजियोथेरेपी प्रभारी डॉ. अनिल इंदौलिया ने लोगों को फिजियोथेरेपी के लाभ के बारे में जानकारी दी। स्वास्थ्य शिविर में 165 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस अवसर पर आरएमओ डॉ. डीएस यादव, डॉ. वीरेन्द्र मुंगी, डॉ. अनिल व्यास, डॉ. अनुराग तोमर, डॉ. महेश शर्मा एवं फि जियोथेरेपी डॉ. विकास सविता सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।

रेवा शक्ति अभियान को समर्पित रहेगा रजवाड़ी रास गरबा सीजन- 2

अशोकनगर। आगामी 25,26 व 27 सितंबर को आयोजित होने वाले रजवाड़ी रास गरबा का सीजन-2 को लेकर समिति की सदस्यों द्वारा मंगलवार को युगल सरकार मंदिर पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई और कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस दौरान आयोजन समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष रेवा शक्ति अभियान व कुपोषण हेतु जागरूकता की थीम पर परम्परगत गरबा का आयोजन किया जाएगा।

पुरानी रंजिश को लेकर पड़ौसी ने किया विवेक का मर्डर, 2 पकड़े

4 सितंबर की रात को अंबाह के तोरकुंभ गांव में हुई थी घटना

घटना में प्रयुक्त कट्टा, पिस्टल और बुलट बाइक बरामद

नवभारत न्यूज
मुरैना/अंबाह, 9 सितंबर। तोरकुंभ गांव में 4 सितंबर की रात को विवेक शर्मा की गोली मारकर हत्या होने के मामले का अंबाह पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने मर्डर को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर कट्टा, 32 बोर

पिस्टल, जिंदा राउण्ड और बुलट बाइक बरामद कर ली गई है। घटना की वजह दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश का होना बताया जा रहा है।

बताना होगा कि 4 सितंबर की रात को तोरकुंभ गांव में छत्त पर बने कमरे में सो रहे विवेक शर्मा 45 पुत्र रामदत्त शर्मा की अज्ञात हमलावरों ने सिर में दो गोली मारकर हत्या कर दी थी। अंबाह पुलिस ने विवेक के पिता रामदत्त शर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा-103(1) के तहत अपराध क्रं. 389/25 दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक विवेक का उसके पड़ौसियों के साथ लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। तब पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक विवेक के पड़ौस में रहने वाले आशीष उर्फ आशु शर्मा और उसके ममेरे भाई विजय उपाध्याय निवासी किर्रायच हाल पोरसा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने विवेक की गोली मारकर हत्या किया जाना कुबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मृतक विवेक से कुछ दिनों पहले उनका मुंहवाद हुआ था, जिसे लेकर उनके मन में टीस भरी हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर कट्टा, तीन जिंदा राउण्ड, 32 बोर की पिस्टल, पांच जिंदा राउण्ड और बुलट बाइक बरामद की है। तोरकुंभ गांव में हुए अंधे कत्ल के खुलासे में अंबाह थाना प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह कुशवाह और उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा है।

दहेज के केस में पति-ससुर व जेठ को 2-2 वर्ष सश्रम कैद

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा ने सुनाया फैसला, 4-4 हजार रूपये अर्थदण्ड

नवभारत न्यूज
मुरैना, 9 सितंबर। शादी के बाद दहेज में 1 लाख रूपये की डिमांड पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जौरा सुश्री दिव्या शर्मा ने पति समेत ससुर और जेठ को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास और चार-चार हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी लखनलाल आर्य ने की।

अभियोजन अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया रजनी शाक्य ने जौरा पुलिस को शिकायती आवेदन दिया था। जिसमें पति नरेश उर्फ पप्पू शाक्य, ससुर गणपत शाक्य पुत्र नंदकिशोर औ जेठ राकेश पुत्र गणपत शाक्य निवासीगण रामदास घाटी ग्वालियर पर शादी के बाद अतिरिक्त दहेज के रूप में 1 लाख रूपये देने की मांग ससुरालीजनों से किए जाने के आरोप लगाए थे। मांग पूरी न होने पर पति समेत ससुर और जेठ द्वारा रजनी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आवेदन की जांच एसडीओपी जौरा ने की। जिसके बाद पुलिस ने पति, ससुर व जेठ के विरुद्ध धारा-498ए के तहत अपराध दर्ज किया था। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों को स्वीकार करते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी माना और तीनों को 2-2 साल सश्रम कैद एवं 4-4 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि फरियादिया रजनी शाक्य को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।

सफाई | **सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कराई गई सफाई**

अधिकारियों की देखरेख में चला नगर में विशेष सफाई अभियान

नवभारत न्यूज
चंदेरी। नगर में स्वच्छता को लेकर और गंदगी की अधिकता को देखते हुए शहर के मुख्य मार्गो पर मंगलवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। राजस्व और नगरीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारियों की निगरानी में सफाई मित्रों ने मुख्य मार्गो और सार्वजनिक स्थलों की गहन सफाई की।

इस दौरान बाज़ार क्षेत्र, प्रमुख चौराहों तथा व्यस्त मार्गो पर विशेष ध्यान दिया गया। सफाई मित्रों ने झाड़ू लगाकर कचरा उठाया और नालियों की सफाई की। अधिकारियों ने सभी प्रमुख जगहों पखन दरवाजा,खिडकी दरवाजा, अस्पताल के पास, दिल्ली दरवाजा, शाह विलायत दरगाह के सामने,पुराना बस स्टैंड, बादल महल के पास और हरकुंड से सड़क किनारे फैली गंदगी को जेसीबी की मदद से हटवाया और स्वयं मौके पर निगरानी की और सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष जायजा लिया। बता दे कि ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी में करीब 12 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हैं इसकी मुख्य वजह चंदेरी नगरपालिका के सफ़ाई कर्मी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। चंदेरी चूंकि पर्यटन और धार्मिक नगरी है यहां हर रोज वहार के लोगों का भी आना जाना लगा रहता है साथ ही सफाई न होने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा था, इन्हीं सब प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए बीते सोमवार को हड़ताल खत्म करने के लिए बैठक रखी गई थी लेकिन सहमति नहीं बनी। सफाई को लेकर नगर के बिगड़ते हालत को देखते हुए प्रशासन ने बाहर से आए हुए सफाई मित्रों से सफाई कराने का फैसला लिया। और मंगलवार सुबह से ही टैक्टर, जेसीबी से सफाई कराई गई और वार्डों में कचरा वाहन भेजे गये प्रशासन की माने तो नगर में यह सफ़ाई नियमित रूप से जारी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की कि वे कचरा सड़क पर न फेंकें और निर्धारित स्थान पर ही डालें।

इनका कहना है।
सोमवार को हुई मीटिंग में सर्व समाज के प्रतिनिधियों और सफाई कर्मियों के समक्ष यह निश्चित हुआ था कि मंगलवार से सफाई प्रारंभ की जाएगी, उसके हिसाब से शहर के प्रमुख मार्ग से सफाई की शुरुआत की गई है जो सतत जारी रहेगी।
शुभ्रता त्रिपाठी,
एसडीएम, चंदेरी।

बिना अनुमति सरकारी जमीन पर पार्क बनाने की कर दी अनुशंसा

अलग अलग मामलों में सचिव निलंबित, सरंपचों को नोटिस जारी

नवभारत न्यूज
अशोकनगर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) राजेश जैन ने ग्राम पंचायत नयाखेड़ा में शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क बनाने की अनुशंसा को लेकर सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव संतोष साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और सरपंच गजराम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जनपद पंचायत सीईओ की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत नयाखेड़ा के सरपंच और सचिव ने मिलकर एक ग्राम सभा में प्रस्ताव (क्रमांक 32) पारित किया था। इस प्रस्ताव में आबाद भूमि के बाहर मौजूद शासकीय भूमि पर डॉ. अंबेडकर पार्क बनाने की अनुशंसा की गई थी। यह अनुशंसा किसी भी सक्षम कार्यालय से अनुमति लिए बिना की गई थी, जिसके कारण ग्राम पंचायत में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिकारियों ने इस कृत्य को कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही और अवचार माना है।

सरपंच पर बर्खास्तगी की तलवार:
सीईओ ने सरपंच गजराम सिंह लोधी को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 49 (क) का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि क्यों न अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत उन्हें सरपंच पद से हटा दिया जाए और धारा 40 (2) के तहत अगले 6 साल के लिए किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए।